प्राप्त - B Rawat
05/02/2025

महत्वपूर्ण

कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिथौरागढ़।

संख्या–489 /तेरह–एस0डी0आर0एफ0/आ0प्र0/2024–25/ दिनांक 27 जनवरी,2025

शाखा प्रबन्धक,
आई0सी0आई0सी0आई0बैक,
पिथौरागढ़।

कृपया आपकी शाखा में DISTRICT NATURAL CALAMITY FUND के नाम से संचालित खाता सं0 158901000803 में से निम्न विवरण के अनुसार कॉलम संख्या–06 की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कॉलम संख्या–02 में अंकित खाताधारक के खाते में जमा करने का कष्ट करें।

क0 सं0	खाता धारक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC CODE	धनराशि जमा हेतु (लाख में)
01	02	03	04	05	06
1.	खण्ड विकास, धारचूला	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001267	ICIC0001589	30.60
2.	खण्ड विकास, मुनस्यारी	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001271	ICIC0001589	17.29
3.	ग्रामीण निर्माण विभाग,डीडीहाट	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001274	ICIC0001589	25.23
4.	जिला पंचायत, पिथौरागढ़	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001280	ICIC0001589	19.50
5.	खण्ड विकास, मूनाकोट	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001033	ICIC0001589	29.11
6.	खण्ड विकास, पिथौरागढ(विण)	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001031	ICIC0001589	21.85
7.	पेयजल निगम, पिथौरागढ़	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001283	ICIC0001589	4.40
8.	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001278	ICIC0001589	4.05
9.	पेयजल निगम, डीडीहाट	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001284	ICIC0001589	6.85
10.	नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट	SBI BANK GANGOLIHAT	33165839668	SBIN0002543	2.00
11.	खण्ड विकास, डीडीहाट	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001279	ICIC0001589	11.08
12.	सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	ICICI BANK PITHORAGARH	158901001281	ICIC0001589	1.50
	कुल योगः–(₹ एक करोड़ तिरहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र)				**173.46**

(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट

समस्त अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/स्वीकृत की गई धनराशि का मिलान तत्काल संबंधित बैंक से कराने उपरान्त प्राप्ति आख्या इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

श्री कमल जी
कृ० आवश्यक कार्यवाही करें
Minakshi
05/02/2025

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–371/XVIII-B-1/2024-12(5)/2023 दिनांक 23.04.2024 एवं शासनादेश संख्या–635/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 03.07.2024 से वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्ययोजनाओं के मरम्मत हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट** को **01 कार्ययोजनाओं** के सापेक्ष **₹ 2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0 स0	तहसील/खण्ड विकास/वार्ड नाम/स्थान का नाम	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आगणन की धनराशि (रू0 लाख में)	स्वीकृत धनराशि (रू0लाख में)
01	02	03	04	05	06
1.	गंगोलीहाट / गंगोलीहाट /बाजार वार्ड	कार्यालय उपकोषागार गंगोलीहाट परिसर में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार/चाहरदीवारी पुर्ननिर्माण कार्य।	नगरपालिका परिषद, गंगोलीहाट	2.94	2.00
		योग		**2.94**	**2.00**

उक्त स्वीकृत कुल **₹ 2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र)** की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जा रही है। **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट** को उपलब्ध कराई गई धनराशि के क्षतिग्रस्त कार्यो के समय के फोटोग्राफ, मरम्मत कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन में कार्य पूर्ण कर प्रत्येक दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को GEO Tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा मोचन निधि में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

3– कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में स्लिप लिया गया इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

R 28/01/2025